झारखण्ड सरकार

# विधि विभाग

सत्यमेव जयते

# झारखण्ड कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2022

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

# कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2022

झारखण्ड राज्य अंतर्गत कोर्ट फीस अधिनियम 1870 के प्रवर्त्तन को संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारतीय गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनयिमित है।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ :–

क) यह अधिनियम कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनयिम 2022 कहा जा सकेगा।

ख) इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

ग) यह राज्य गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत होगा।

## खण्ड –"क"

2. कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की अनुसूची I एवं II का प्रतिस्थापन :–
कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की अनुसूची I एवं II को निम्नवत प्रतिस्थापित की जाएगी:–

## अनुसूची–I

## मुल्यानुसार फीस

| क्र.सं. | विषय | विवरण | उचित मुल्य |
|---|---|---|---|
| 1. | धारा 3 में उल्लिखित के सिवाए किसी दीवानी या राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया गया वैसा वाद पत्र, किसी मुजरा या प्रतिदावा का अभिवचन अथवा अपील या प्रत्याक्षेपों का ज्ञापान जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध न हो। | जब विवादग्रस्त विषयवस्तु का रकम या मूल्य<br>(i) 30,000/– (तीस हजार) रूपये तक हो | (i) मूल्य का 15 प्रतिशत |
| | | (ii) 30,000/– (तीस हजार) रूपये से अधिक किन्तु 50,000/– रूपये (पचार हजारा) रूपये से अधिक नहीं हो | (ii) 4,500/– रूपये (चार हजार पांच सौ)+ 30,000/– (तीस हजार) रूपये से अधिक मूल्य का 10 प्रतिशत |
| | | (iii) 50,000/– (पचास हजार) रूपये से अधिक किन्तु 20,00,000/– (बीस लाख) रूपये से अधिक नहीं हो | (iii) 6,500/– (छः हजार पांच सौ) + 50,000/– (पचास हजार ) रूपये से अधिक मूल्य का 3 प्रतिशत |
| | | (iv)20,00,000/– (बीस लाख) रूपये से अधिक किन्तु 1 करोड़ रूपये से अधिक नहीं हो | (iv) 65,500/– (पैंसठ हजार पांच सौ) + 20,00,000/– (बीस लाख) रूपये से अधिक मूल्य का 0.5 प्रतिशत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (v) 1 (एक) करोड़ से अधिक हो | (v) 1,05,000 (एक लाख पाँच हजार) रूपये+ एक करोड़ से अधिक मूल्य का 0.3 प्रतिशत (अधिकतम 3,00,000/– (तीन लाख) रूपये) |
| 2. | विनिर्दिष्टअनुतोष अधिनियम 1963, की धारा 6 के अधीन कब्जा के लिए किसी वाद में वाद पत्र | | मद संख्या–1 के अन्तर्गत निर्धारित दर के अनुसार |
| 3. | विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र, विल उपाबद्ध करने के साथ या उसके बिना | | मूल्य का 10 प्रतिशत न्यूनतम 500/– (पांच सौ) रूपये |
| 4. | उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र अधिनियम 1889 के अधीन प्रमाण–पत्र | | मद संख्या–3 के अनुसार प्रमाण–पत्र में वर्णित मूल्य के अनुसार |

## अनुसूची–II

### नियत फीस

| क्र.सं. | विषय | विवरण | उचित मुल्य |
|---|---|---|---|
| 1. | (i) आवेदन या अर्जी | जब राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकाय के प्रशासनिक अथवा राजस्व पदाधिकारी या उच्च न्यायालय से भिन्न दिवानी या फौजदारी न्यायालय में प्रस्तुत हो तथा जिसके संबंध में अन्यथा उपबंधित न हो | 20/– (बीस) रूपये |
| | (ii) जब उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हो | संविधान के अनुच्छेद 226, 227 के अन्तर्गत<br>(क) सामान्य आवेदन दायर करने हेतु<br>(ख) अन्य आवेदनों पर | 500/– (पांच सौ) रूपये<br>250/– (दो सौ पचास) रूपये |
| | (iii) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा–115 अन्तर्गत सिविल पुनरीक्षण या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 सह पठित धारा 399/401 अन्तर्गत अपराधिक पुनरीक्षण | | 250/– (दो सौ पचास) रूपये |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | दूसरे न्यायालय से अभिलेखों को मंगाने के लिए आवेदन | | 50/– (पचास) रूपये |
| 3. | अकिंचन के रूप में वाद चलाने या अकिंचन के रूप में अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन | | 20/– (बीस) रूपये |
| 4. | अधिभोग के अधिकार को स्थापित या साबित करने के लिए वाद पत्र या अपील का ज्ञापन | | 100/– (एक सौ) रूपये |
| 5. | दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की किसी धारा के अधीन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया किसी आदेश के अनुपालन में दिया गया जमानत पत्र या अन्य बाह्य लिखित और जो इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं है। | | 20/– (बीस) रूपये |
| 6. | भारतीय विवाह विच्छेद अधिनिमय 1869 (1869 का 4) की धारा 49 के अधीन वचनबद्ध | | 100/– (एक सौ) रूपये |
| 7. | शपथ पत्र | (i) उच्च न्यायालय से भिन्न अन्य सभी न्यायालय<br>(ii) उच्च न्यायालय में | 20/– (बीस) रूपये<br>30/– (तीस) रूपये |
| 8. | वकालतनामा | (i) उच्च न्यायालय से भिन्न अन्य सभी न्यायालय<br>(ii) उच्च न्यायालय में | 30/– (तीस) रूपये<br>50/– (पचास) रूपये |
| 9. | किसी निर्णय, डिक्री, आदेश कार्यवाही, या कार्यवाही के साथ संलग्न दस्तावेज की प्रति आदि | | 10/– (दस) रूपये प्रति पृष्ठ |
| 10. | केवियट | | 100/– (एक सौ) रूपये |
| 11. | निर्णय पर पुनर्विलोकन हेतु आवेदन | | 500/– (पांच सौ) रूपये |
| 12. | अपील का ज्ञापन जब अपील किसी डिक्री या किसी डिक्री का बल प्राप्त के विरूद्ध न हो, प्रस्तुत किया जाए | (i) उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय से भिन्न किसी राजस्व न्यायालय या किसी कार्यपालक के पदाधिकारी अथवा मुख्य नियंत्री राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी को | 50/– (पचास) रूपये |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (ii) उच्च न्यायालय या मुख्य नियंत्री कार्यपालक या राजस्व प्राधिकार को | 100/– (एक सौ) रूपये |
| 13. | निम्नांकित वाद में वाद पत्र या अपील का ज्ञापन | (i) किसी सिविल न्यायालय का संक्षिप्त निर्णय या आदेश जो लेटर्स पेटेंट या किसी भी राजस्व न्यायालय द्वारा स्थापित न हो, को परिवर्तित या अपास्त करने के लिए | 500/– (पांच सौ) रूपये |
| | | (ii) राजस्व संपदाओं के स्वत्वधारियों के नामों के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को परिवर्तित करने या रद्द करने के लिए। | 500/– (पांच सौ) रूपये |
| | | (iii) जहाँ कोई परिणामिक अनुतोष प्रार्थित नहीं हो, वहाँ धोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के लिए | 1000/– (एक हजार) रूपये |
| | | (iv) किसी पंचाट को अपास्त करने के लिए | 1000/– (एक हजार) रूपये |
| | | (v) किसी दत्तक ग्रहण को अपास्त करने के लिए | 1000/– (एक हजार) रूपये |
| | | (vi) जहाँ विवादग्रस्त विषयवस्तु का धन–मूल्य प्राक्कलित करना संभव नहीं हो और जो इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित नही हो, वहाँ प्रत्येक अन्य वाद मे लिए | 1000/– (एक हजार) रूपये |
| 14. | सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के अधीन न्यायालय की राय के लिए प्रश्न का उल्लेख करते हुए लिखित करार। | | 200/– (दो सौ) रूपये |
| 15 | (i) भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 44 के अधीन अर्जियों को छोड़कर इसी अधिनियम के अधीन प्रत्येक अर्जी तथा इसी अधिनियम की धारा 55 के अधीन अपील का प्रत्येक ज्ञापन | | 500/– (पांच सौ) रूपये |
| | (ii) पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1865 के अधीन वाद पत्र या अपील का ज्ञापन | | 500/– (पांच सौ) रूपये |

# उद्देश्य एवं हेतु

माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड राँची में विचाराधीन डब्ल्यू0 पी0 (पी0आई0एल0) संख्या–3764/2022 (झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा सचिव, राजेश पांडेय बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य से संबंधित) मामले में खण्ड पीठ द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ विद्वान महाधिवक्ता के माध्यम से संसूचित बिन्दुओं पर माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के आलोक में सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में एक त्रि–सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा कोर्ट फी (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2021 की अनुसूची–I एवं II में माननीय उच्च न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालयों में विभिन्न वादों पर प्रभार्य कोर्ट फीस में संशोधन के संबंध में अनुशंसा की गई।

त्रि–सदस्यीय समिति के अनुशंसा के अनुरूप कोर्ट फी (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2022 में आवश्यक संशोधन का प्रावधान किया गया है, जिसे प्रख्यापित करना इस विधेयक का अभीष्ट है।

(हेमन्त सोरेन)
भार–साधक–सदस्य

झा०रा०मु०राँची (विधि) 18(A)--200--17-12-2022 ।